

प्रेषक,

डा० राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-04

देहरादून : दिनांक १३ जनवरी, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में निःशक्तजनों द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3423/स.क./वि.क./बजट अवमुक्त/43/2017-18 दिनांक 13.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत "निःशक्तजनों द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति" योजान्तर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. संख्या-S1801300318 दिनांक 19.01.2018 द्वारा ₹50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उक्त धनराशि को निदेशक, समाज कल्याण द्वारा आहरित कर सीधे प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. इस सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली, 2009 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग सुनिश्चित कराते हुए प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम से निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय परिवहन विभाग द्वारा इंगित अवधि, विकलांगजन एवं उनके सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा के वास्तविक संख्या के आधार पर वास्तविक आंकलन के अनुसार की पुष्टि करते हुए नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
7. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
8. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

३

9. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
10. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
11. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराये।
12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय- व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
13. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. बी0एम0-08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-30 के अंतर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 03-निःशक्तजनों द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-74/XXVII(1)/2018-19 दिनांक 19 जनवरी, 2018 में उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

संख्या: - 2 /XVII-4/2017-28(वि.क.) /बजट/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
 03 -
 00 -

02 - समाज कल्याण

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/वंशदान/राज	0	5000000	5000000
	0	5000000	5000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

5000000

मिनिस्टर